न्यायालय सहायक कलक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट (शहर), बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– मोनिका बलारा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 25 / 2014

आरसीएमएस नम्बरः– 2014 / 00137

1. सम्पतराम
2. बाबूलाल
3. गीता

} पुत्र पुत्री स्व. पांचाराम जाति मेहतर निवासी ग्राम उदासर तहसील व जिला बीकानेर।

4. रतनी देवी पत्नी स्व. गोविन्द राम
5. सन्तोष
6. भंवरलाल
7. बुद्धी
8. रमेश
9. राजेन्द्र कुमार

} पुत्र पुत्रीया स्व. गोविन्दराम पुत्र पांचाराम जाति मेहतर निवासी ग्राम उदासर तहसील व जिला बीकानेर।

10. प्रकाश
11. बिल्लो
12. मन्जू

} पुत्र पुत्रीया स्व. हीरालाल पुत्र पांचाराम जाति मेहतर निवासी ग्राम उदासर तहसील व जिला बीकानेर।

13. रवि
14. ज्योति
15. पुनम
16. मनोज

} पुत्र पुत्रीया स्व. किरण पुत्री हीरालाल पुत्र पांचाराम जाति मेहतर निवासी ग्राम उदासर तहसील व जिला बीकानेर।

17. सुखमणीर
18. कैलाश
19. जगदीश
20. मुकेश
21. तारामती
22. लक्ष्मी

} पुत्र पुत्रीया स्व. माणकलाल पुत्र पांचाराम जाति मेहतर निवासी ग्राम उदासर तहसील व जिला बीकानेर।

23. सन्जु पत्नी स्व. पृथ्वीराज पुत्र स्व. माणकलाल
24. प्रियंका
25. अनिता

} पुत्रिया स्व. पृथ्वीराज पुत्र स्व. माणकलाल पुत्र पांचाराम जाति मेहतर निवासी ग्राम उदासर तह0 व जिला बीकानेर।

26. श्रवण पुत्र रामी पुत्री स्व. पांचाराम जाति मेहतर निवासी ग्राम उदासर तहसील व जिला बीकानेर।
27. तारा देवी पत्नी स्व. प्रहलाद पुत्र स्व. रामी देवी पुत्री पांचाराम जाति मेहतर निवासी ग्राम उदासर तहसील व जिला बीकानेर।
28. प्रमोद
29. प्रताप
30. किरण
31. सुमन

} पुत्र पुत्रीयां स्व. प्रहलाद जाति मेहतर निवासी ग्राम उदासर तहसील व जिला बीकानेर।

32. विजय
33. सुनीता

} पुत्र पुत्री स्व. तुलछीराम पुत्र स्व. रामी जाति मेहतर निवासी ग्राम उदासर तहसील व जिला बीकानेर।

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट बीकानेर

Web Copy - Not Official

34. कैलाश
35. कंचन
36. दीपक
37. प्रदीप

पुत्र पुत्रीया स्व. नृसिंहलाल पुत्र रामी जाति मेहतर निवासी ग्राम उदासर तहसील व जिला बीकानेर ।

38. किशन पुत्र स्व. शान्ति पुत्री स्व. पांचाराम जाति मेहतर निवासी ग्राम उदासर तहसील व जिला बीकानेर।

39. राजूदेवी पत्नी स्व. पुनमचन्द पुत्र स्व. शान्ति पुत्री पांचाराम जाति मेहतर निवासी ग्राम उदासर तहसील व जिला बीकानेर।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

40. नरेन्द्र
41. नीतू
42. नीतेश
43. पिंकी

पुत्र पुत्रीया स्व. पूनमचन्द पुत्र स्व. शान्ति पुत्री स्व. पांचाराम जाति मेहतर निवासी ग्राम उदासर तहसील व जिला बीकानेर।

44. सुमन
45. रीना
46. सन्तरा

पुत्रीया स्व. कमा पुत्री स्व. शान्ति पुत्री स्व. पांचाराम जाति मेहतर निवासी ग्राम उदासर तहसील व जिला बीकानेर।

47. सुमित्रा
48. दीपक
49. प्रेम
50. रमेश
51. विघा
52. नेमीचन्द
53. कोमल
54. सन्जु
55. किसन
56. रेखा

पुत्र पुत्रीया स्व. चान्दा पुत्री स्व. पांचाराम जाति मेहतर निवासी ग्राम उदासर तहसील व जिला बीकानेर।

..........वादीगण

———बनाम———

1. यूनियन ऑफ इण्डिया जरिये सचिव गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।
2. प्रभारी अधिकारी सीमा सुरक्षा बल ,बीकानेर।
3. धनराज पुत्र स्व. हीरालाल पुत्र स्व. पांचाराम जाति मेहतर निवासी ग्राम उदासर तहसील व जिला बीकानेर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, बीकानेर।

....
प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक मजिस्ट्रेट बीकानेर

दावा अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

उपस्थितः—

1. श्री जगदीश जयपाल, श्री विनोद कुमार पुरोहित, अभिभाषक वादीगण की ओर से।
2. श्री अशोक भाटी, अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से ।
3. श्री मदनलाल बारूपाल, अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से ।

—:निर्णयः—

दिनांकः—31.07.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. संक्षेप में प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादीगण सम्पतराम वगै0 ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए 1955 विरूद्ध प्रतिवादीगण युनियन ऑफ इंडिया जरिये सचिव गृह मंत्रालय, नई दिल्ली वगै0 के अधीन प्रस्तुत करते हुवे अभिवचन किया कि वादग्रस्त अराजीयात वाके ग्राम बीकानेर के खसरा नं. 469 ता. 1.30 है, खसरा नं. 470 ता. 0.23 हैक्टयर, खसरा नम्बर 471 ता. 0.41 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 472 ता. 0. 88 हैक्टयर, खसरा नम्बर 473 ता. 0.21 हैक्टयर, खसरा नं. 474 ता. 1.09 हैक्टेयर, खसरा नं. 475 ता. 0.38 हैक्टयर , खसरा नं. 637/467 ता. 6.17 कुल 10.67 हैक्टयर कृषि भूमि में वादीगण के पिता, दादा व नाना पाचाराम पुत्र नानुराम जाति मेहतर का 3. 74 हैक्टेयर हक व हिस्सा बनता है, जिसके स्व. पाचाराम पुत्र नानुराम खातेदार काश्तकार रहे थे । स्व. पांचाराम के देहान्त के बाद उनके समस्त जायज वारिसान में उक्त भूमि निहित हो गई, जिसपर उनके वारिसान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 बहेसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है। वर्तमान में उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 3 व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की सयुंक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1.92 हैक्टयर व प्रतिवादी संख्या 2 का 5.01 हैक्टयर हक व हिस्सा है व इसी अनुरूप उनका राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा अंकित है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है । लेकिन संयुक्त खाते की भूमि होने से वादीगण अपने हिस्से की भूमि को सुधार नहीं पा रहे है, इसलिए विभाजन की डिग्री बहक वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 3 इस आशय की जारी की जावे कृषि भूमि ग्राम बीकानेर के खसरा नं. 469 ता. 1.30 हैक्टेयर, खसरा नं. 470 ता. 0.23 हैक्टेयर, खसरा नं. 471 तां. 0.41 हैक्टेयर, खसरा नं. 472 ता. 0.88 हैक्टेयर, खसरा नं. 473 ता. 0.21 हैक्टेयर, खसरा नं. 474 ता. 1.09 हैक्टेयर, खसरा नं. 475 ता. 0.38 हैक्टेयर , खसरा नं. 637/467 ता. 6.17 कुल 10.67 हैक्टेयर स्थित है में वादीगण का 3. 74 हैक्टेयर हिस्सा जरिये मीटस एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर प्रदान किया जावे।

2. इस वाद के प्रतिवादीगण को समन बनाम मुदायलाह बिनावत कायमी तन्कियात दिलाया गया । जिसपर प्रतिवादी सं. 1 की ओर से वकील श्री महेश कुमार व्यास, 2 की ओर से अभिभाषक श्री अशोक कुमार भाटी उपस्थित आये । प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अभिभाषक श्री मदनलाल बारूपाल उपस्थित आये ।

3. प्रतिवादी संख्या 3 ने अपने जवाब में वादीगण के वाद पत्र के कथनों को स्वीकार कर अभिवचन किया कि नामान्तरण रजिस्टर ग्राम बीकानेर पांचाराम वल्द नानूराम मेहतर निवासी उदासर (बीकानेर) में मेरे दादाजी के नाम से निम्न खसरों में 469 में 1.30 हैक. ख.नं. 470 में 0.23 हैक. ख.नं. 471 में 0.41 हैक. ख.नं. 472 में 0.88 हैक. ख.नं. 473 में 0. 21 हैक. ख.नं. 474 में 1.09 हैक. ख.नं. 475 में 0.38 हैक. ख.नं. 637/467 में 6.17 हैक इस प्रकार कुल 8 खसरों में 10.67 हैक्टेयर भूमि में से अवार्ड हैक्टेयर 6.93 की हुई है, शेष भूमि 3.74 हैक्टेयर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 की बारानी कृषि भूमि है । साथ ही कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 का 1.92 हैक व प्रतिवादी संख्या 2 का 5.01 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड अनुसार दर्ज है । शेष हिस्सा मेरे दादाजी स्व. पांचाराम पुत्र नानूराम के नाम से है । जिसका कब्जा प्रतिवादी संख्या 1, 2 अथवा अन्य के पास हो सकता है।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बीकानेर

4. प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपनी मौखिक सहमति बाबत वाद का निस्तारण जरिये मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर करने की हमारे समक्ष दी है ।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व उभयपक्ष की सहमति को देखते हुवे न्यायहित में वाद वादीगण को स्वीकार किया जाता है एवं वादगत भूमि ग्राम बीकानेर के खसरा नं. 469 ता. 1.30 है, खसरा नं. 470 ता. 0.23 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 471 ता. 0.41 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 472 ता. 0.88 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 473 ता. 0.21 हैक्टेयर, खसरा नं. 474 ता. 1.09 हैक्टेयर, खसरा नं. 475 ता. 0.38 हैक्टेयर , खसरा नं. 637/467 ता. 6.17 कुल 10.67 हैक्टेयर कृषि भूमि में से 3.74 हैक्टेयर का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउन्ड्स के तहत् अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी के आधार पर किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्राथमिकी डिक्री जारी हो। निर्णय व प्राथमिकी डिक्री की प्रति तहसीलदार बीकानेर को प्रेषित की जावे कि मौके पर जाकर पक्षकारान् के समक्ष विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय को भिजवाये ।

6. निर्णय आज दिनांक 31.07.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मोनिका बलारा)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(शहर), बीकानेर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official